भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

भोपाल शाखा कार्यालय : 'मानकालय', ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 (म.प्र.)
BHOPAL BRANCH OFFICE : 'Manakalaya', E-5, Arera Colony, Bittan Market, Bhopal-462016 (M.P.)
PAN No. AAATB0431G
दूरभाष / Tel.: 2423449, 2423452, 2423454, 2420493, 2442550
तार : मानकसंस्था / Gram : Manaksanstha
ई-मेल / E-mail : bplbo@bis.org.in
फैक्स / Fax : (0755) 2423451, वेबसाइट/Website : www.bis.org.in

Soft copy download of Indian Standards now available from BIS sales portal http:// www.standardsbis.in

BIS offers complete training solution for Standards and Management Systems. For details see http:// www.bis.org.in or e-mail at nits@bis.org.in

सन्दर्भ/बीपीबीओ//ईएनएफ

7 फरवरी 2019

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

जाली आईएसआई मार्क लगे एसी के केपेसिटर एवं पेकेज्ड ड्रिंकिग वाटर का निर्माण करने वाली फेक्ट्रियों पर छापा

श्रीमती प्रीति भटनागर, वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा कार्यालय के निर्देशानुसार ब्यूरो के अधिकारियों ने दिनांक 5 फरवरी 2019 को मेसर्स भण्डारी कन्ट्रोल एवं इलेक्ट्रीकल प्रा लि, इन्दौर पर तलाशी एवं जप्ती कार्यवाही करते हुए **जाली आईएसआई मार्क लगे एसी के केपेसिटर** बड़ी मात्रा में जप्त किये एवं दिनांक 6 फरवरी 2019 को मेसर्स आजाद राठौर/राठौर किराना, उंडासा रोड, उज्जैन पर तलाशी एवं जप्ती कार्यवाही करते हुए **जाली आईएसआई मार्क लगे पेकेज्ड ड्रिंकिग वाटर के एच2ओ ब्राण्ड के बड़ी मात्रा में 250एमएल पाउच** जप्त किये। प्रकरण में अब दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत आईएसआई मार्क का दुरूपयोग करना दण्डनीय अपराध है एवं धारा 29 के तहत दो वर्ष तक का कारावास अथवा न्यनूतम दो लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनो दण्ड का प्रावधान है ।

उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने आवश्यकता की वस्तुएं क्रय करते समय उत्पाद पर सही आईएसआई मार्क देखें एवं क्रय संबंधी बिल अवश्य प्राप्त करें । आईएसआई मार्क वस्तु की गुणता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो के किसी भी कार्यालय में अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर की जा सकती है ।

(प्रीति भटनागर)
वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

Scanned by CamScanner